

प्रेषक,

इन्दुधर बौड़ाई,
सचिव (प्रभारी),
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय,
हरिद्वार।

संस्कृत शिक्षा अनुभाग

देहरादून: दिनांक 01 ^{जुलाई} जून, 2019

विषय-उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार सृजित 01 शोध अधिकारी के पद की निरन्तरता के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-269/R-97/सततीकरण/प्रशासन/2019 दिनांक 18.06.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार हेतु शासनादेश संख्या-722/XLII-1/2016-06(05)2010 दिनांक 22.11.2016 द्वारा नियमित वेतनमान रूपये 15600-39100 ग्रेड पे-5400/- में सृजित 01 शोध अधिकारी के पद की दिनांक 01.03.2019 से दिनांक 29.02.2020 तक निरन्तरता प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है शासनादेश संख्या-722/XLII-1/2016-06(05)2010 दिनांक 22.11.2016 द्वारा नियमित वेतनमान रूपये 15600-39100 ग्रेड पे-5400/- में सृजित शोध अधिकारी के 01 पद की दिनांक 01.03.2019 से दिनांक 29.02.2020 तक निरन्तरता बनाये रखने (बशर्ते कि यह पद बिना किसी पूर्व सूचना के इससे पूर्व ही समाप्त न कर दिये जायें) की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3. उक्त पद हेतु सेवा नियमावली प्राथमिकता के आधार पर निर्मित करते हुए निर्धारित शैक्षिक अर्हताओं एवं मानकों के अनुसार पारदर्शिता पूर्ण विधि से नियमित नियुक्ति/चयन हेतु यथावश्यक कार्यवाही शीघ्र सम्पादित की जायेगी।

4. आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत कार्मिकों के संबंध में कार्मिक विभाग के शासनादेश सं0-111/XXX(2)/2018-30(12)2018 दिनांक 27.04.2018 के द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशानुसार यथावश्यक कार्यवाही की जायेगी।

5. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार के अन्तर्गत सुसंगत लेखाशीर्षक/मानक मदों से वहन किया जायेगा।

भवदीय,

(इन्दुधर बौड़ाई)
सचिव (प्रभारी)।

संख्या-529 (1)/XLII-1/2019-06(05)2010 एवं तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ देहरादून।
2. कुलपति, उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार।
3. वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार।
4. मुख्य कोषाधिकारी, हरिद्वार।
5. मुख्य शिक्षा अधिकारी, हरिद्वार।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-03, उत्तराखण्ड शासन।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(वीरेन्द्र पाल सिंह)
संयुक्त सचिव।